

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-10) 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 व 494/2016.....जिला—धौलपुर

उनवान : मैसर्स भोले बाबा फूड इण्डस्ट्रीज (धौलपुर) प्रा० लिमिटेड, धौलपुर
बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्-द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03 / 03 / 2016	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u> <u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा ये दस अपीलें मय रथगन प्रार्थना—पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 231/RVAT, 230/CST, 229/RVAT, 228/CST, 227/RVAT, 226/CST, 225/RVAT, 224/CST, 223/RVAT, 222/CST/2015-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक—पृथक आदेश दिनांक 25.02.2016 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।</p> <p>प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय रथल का दिनांक 19.03.2014 को सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मौके पर रस्टॉक से माल कम/अधिक पाया गया। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में की गयी अघोषित बिक्री के प्रमाण पाये गये। उक्त अनियमितताओं के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के वेट अधिनियम की धारा 25/26, 55, 61, 18 65 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.01.2016 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। साथ ही वक्त सर्वेक्षण रस्टॉक से कम/अधिक पाये गये पर माल वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति एवं कर का भी आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं तथा साथ ही प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के रथगन हेतु वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत रथगन प्रार्थना—पत्र भी प्रस्तुत किये गये। रथगन प्रार्थना—पत्रों के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक—पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2016 से प्रार्थना—पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, कुल मांग की लगभग 85-90 प्रतिशत राशि की वसूली रथगित करते हुए, शेष राशि का रथगन स्वीकार किये जाने से</p>	१० नामांकन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-10) 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 व 494 / 2016.....जिला—धौलपुर

उनवान : मैसर्स भोले बाबा फूड इण्डस्ट्रीज (धौलपुर) प्रा० लिमिटेड, धौलपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्-द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज — 2 —	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

03 / 03 / 2016 इंकार किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
485 / 16	2009—10 RVAT	36,89,050	29,74,850	73,78,100	6,64,028
486 / 16	2009—10 CST	52,77,550	42,85,820	1,05,55,100	9,49,958
487 / 16	2010—11 RVAT	10,12,76,667	6,85,44,051	20,25,53,334	1,82,29,799
488 / 16	2010—11 CST	4,03,405	2,73,025	8,06,810	72,611
489 / 16	2011—12 RVAT	29,62,54,383	16,21,10,398	59,25,08,766	5,33,25,789
490 / 16	2011—12 CST	1,84,000	1,00,685	3,68,000	6,52,685
491 / 16	2012—13 RVAT	8,67,20,090	3,62,14,310	17,34,40,180	1,56,09,616
492 / 16	2012—13 CST	1,37,21,700	57,30,182	2,74,43,400	24,69,906
493 / 16	2013—14 RVAT	6,71,39,990	1,93,02,137	13,46,36,029	1,20,85,178
494 / 16	2013—14 CST	37,32,013	10,74,819	74,64,026	6,71,761

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना—पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज धीया तथा राजस्व के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या—6** में अंकित है, की वसूली पर आगामी तारीख पेशी तक इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के एक माह में अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


सदस्य

८३/३/२०१६
सदस्य